सैकेण्डरी/सी0 सैकेण्डरी/पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक/उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा–2024 हेतु आनॅलाईन आवेदन करने के लिए विद्यालयों/गुरूकुल/विद्यापीठों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश–

1. सभी विद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के ऑनलाईन फार्म भरने उपरान्त उसकी हार्ड कॉपी निकालते हुए परीक्षार्थियों के विवरणों का मूल रिकार्ड से मिलान कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
2. सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देशित किया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिन अन्य राज्य बोर्डों की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं को हरियाणा बोर्ड की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई/मान्यता प्रदान नहीं की गई है उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in पर जारी की गई है। अतः सभी विद्यालय मुखिया इन सूचियों का अवलोकन करते हुए परीक्षाओं के ऑन–लाईन आवेदन फार्म भरवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त यदि किसी भी विद्यालय द्वारा अनियमिततता बरती जाती है तो उस पर सम्बद्धता विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. विद्यालय द्वारा सभी परीक्षार्थियों का ऑनलाईन पंजीकरण एक ही बार में करवाया जाना अनिवार्य है।
4. आवेदन फार्म में परीक्षार्थियों का नवीनतम फोटो सम्बन्धित विद्यालय की वर्दी में लगाया जायेगा अन्यथा शिक्षा विभाग, हरियाणा के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. सभी विद्यालय मुखिया सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन करते समय फोटो एवं हस्ताक्षर दिये गये साईज अनुसार अपलोड किया जाना हैः– फोटो :– 50 KB to 80 KB हस्ताक्षर :– 20 KB to 30 KB
6. जिन परीक्षार्थियों का नाम विद्यालय से आवेदन पत्र भरने से पूर्व कट चुका है ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र न भरे जायें। जिन परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और जिनका नाम विद्यालय से काट दिया गया है, उसकी सूचना परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व कारण दर्शाते हुए अनुक्रमांक स्लिप विद्यालय द्वारा बोर्ड कार्यालय में वापिस भेज दी जाये।
7. जो परीक्षार्थी एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी में हैं और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं तो उनका परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाना, लेकिन प्रायोगिक, माइग्रेशन व अतिरिक्त विषय शुल्क लिया जाना है।
8. एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थी जो पहले बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके हैं, परन्तु उत्तीर्ण नहीं हुए और उन्होंने अब पुनः विद्यालय में प्रवेश लेते हुए बोर्ड की पूर्ण विषयों की परीक्षा हेतु आवेदन करना है तो उसे Old Candidate की श्रेणी में माना जायेगा और उनको किसी प्रकार की परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होगी।
9. जो परीक्षार्थी दिव्यांग की श्रेणी में है, उन सभी परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाना है। ऐसे सभी परीक्षार्थियों का पूर्ण विवरण ऑन–लाईन आवेदन फार्म में अलग से दिये गये कालंम में मांगी गई वाछिंत सूचना अनुसार भरना सुनिश्चित करे।
10. विद्यालयों को जिस संकाय अनुसार मान्यता प्रदान की गई है उनके मुखिया उसी संकाय अनुसार परीक्षार्थियों के आवेदन फार्म भरवाना सुनिश्चित करें।
11. सभी विद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उनके परीक्षार्थियों के ऑन–लाईन फार्म भरते समय परीक्षार्थियों के Aadhaar के सभी अंक दिये जाने है।
12. सभी विद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उनके परीक्षार्थियों के ऑन–लाईन फार्म भरते समय परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा हेतु माध्यम (हिन्दी अथवा अग्रेंजी) का चुनाव कर लिया गया है।
13. निजी विद्यालयों के मुख्याध्यापक/प्राधानाचार्य दाखिला खारिज रजिस्ट्रर के अन्तिम पृष्ठ पर जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाते हुऐ आवेदन पत्रों के साथ Upload करेगें।
14. जिन परीक्षार्थियों द्वारा अतिरिक्त विषय लिया गया है उस परीक्षार्थी का 200/रू0 अतिरिक्त विषय शुल्क भरा जाना है।
15. गत वर्षो में ध्यान में आया है कि कुछ विद्यालय परीक्षा आरम्भ होने से कुछ दिन पूर्व बोर्ड कार्यालय में विषय शुद्धि हेतु आते हैं, जिससे कार्यालय एवं परीक्षार्थी को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः सभी विद्यालय मुखिया सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों के आवेदन भरते समय संकाय अनुसार वही विषय भरें जिनका परीक्षार्थी द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। आवेदन समाप्ति की तिथि उपरान्त विषय शुद्धि नहीं की जायेगी।

16. सभी विद्यालय मुखिया यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी जिस जाति श्रेणी से सम्बन्ध रखता है उसके आवेदन में वही जाति श्रेणी भरी जाये। परीक्षा समाप्ति उपरान्त जाति श्रेणी में शुद्धि नहीं की जायेगी।

17. आवेदन करने उपरान्त हार्ड कॉपी से सभी परीक्षार्थियों के विवरण जैसेः– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, Aadhaar के सभी अंक, जाति, लिंग, विषय, फोटो एवं हस्ताक्षर अपने मूल रिकार्ड से जाँच ले, यदि कोई त्रुटि है तो उसे शुद्वि हेतु दी गई निर्धारित तिथियों में ठीक करवा लें। निर्धारित तिथि समाप्त होने के उपरान्त परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर में बदलाव/शुद्धि नहीं की जाएगी।

18. जिस विद्यालय/संस्थाओं से किसी परीक्षार्थी/परीक्षर्थियों का ऑन लाईन आवेदन में तकनीकि कारणों से एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायोजन हो जाता है तो, ऐसे विद्यालय/संस्था परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों की डबल फीस रिफण्ड हेतु प्रार्थना–पत्र ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद 02 माह (60 दिन)तक दोहरी फीस जमा होने के साक्ष्यों (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Branch आदि दर्शाते हुए) सहित बोर्ड कार्यालय में भेज सकते है। फीस रिफण्ड हेतु हरियाणा बोर्ड द्वारा पत्र का प्रारूप जारी किया गया है जो बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। इसके उपरान्त शुल्क रिफण्ड हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

संस्था के मुखिया द्वारा निम्न बिन्दुओं की पालना की जानी हैः–

1. मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी परीक्षार्थियों के निजी विवरण दाखिला खारिज रजिस्टर आदि से जांच लिए हैं तथा ये विद्यालय रिकार्ड अनुसार सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के जो विवरण ऑन–लाईन भरे गये हैं वे अभिभावकों से पुष्टि करवाकर भरे गये हैं।
2. ऑन लाईन आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को किसी बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हैं।
3. सभी परीक्षार्थियों द्वारा पिछली कक्षा सैकण्डरी कक्षा के आवदेन–फार्म हेतु नौंवी कक्षा एवं सीनियर सैकेण्डरी कक्षा के आवेदन हेतु ग्यारहवीं कक्षा, नियमानुसार एवं हरियाणा बोर्ड से उत्तीर्ण की है तथा हमारे द्वारा परीक्षार्थियों की परीक्षा हेतु जारी शर्तो अनुसार पात्रता की जांच की गई है परीक्षार्थी सैकण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में प्रविष्ठ होने के पात्र हैं।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी परीक्षार्थियो ंके परीक्षा आवेदन–फार्म उसी संकाय अनुसार भरे गये हैं जिसकी स्वीकृति शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा विद्यालय को दी गई है।
5. विद्यालय में अध्ययनरत सभी परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन–फार्म विद्यालय द्वारा भर दिए गये हैं तथा विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन फार्म भरना लम्बित नहीं है।
6. ऑन–लाईन आवेदन में स्कैन/भरे गए परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर मेरे द्वारा मेरी उपस्थिति में करवाये गये हैं तथा फोटो भी परीक्षार्थी की है, जो कि सही है।
7. एस0सी0/बी0सी0 (केवल राजकीय विद्यालयों) श्रेणी में होने के कारण उनका परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया गया ऐसे परीक्षार्थियों का प्रमाण–पत्र विद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
8. गरीबी रियायत श्रेणी में होने के कारण जिन परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया गया, ऐसे परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों का प्रमाण–पत्र विद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
9. विद्यालय द्वारा सभी परीक्षार्थियों के जो विवरण भरे हैं वे पूर्ण एवं सत्य हैं। इसमें उनके द्वारा कोई विवरण गलत/छुपाया नहीं गया है, यदि कोई विवरण गलत होगा तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूँगा। यदि विद्यालय की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन पर सम्बद्धता विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही एवं आर्थिक दंण्ड के लिये वे स्वंय जिम्मेवार होगे।

मुख्याध्यापक/प्राचार्य